

# WE ARE YOUR DOL



Department  
of Labor

## नियोक्ता के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ न्यूयॉर्क राज्य सरकारी कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम के तहत

न्यूयॉर्क राज्य का सरकारी कर्मचारी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम 1980 राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को कवर करता है। यह अधिनियम उन समान OSHA सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की पेशकश करता है जो निजी क्षेत्र के श्रमिकों पर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यह तथ्य पत्रक आपको कानून की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

### नियोक्ता की ज़िम्मेदारियाँ

अधिनियम के तहत, नियोक्ताओं में शामिल हैं:

- राज्य
- राज्य का कोई भी राजनीतिक उपखंड
- राज्य द्वारा बनाए गए सार्वजनिक प्राधिकरण

एक नियोक्ता को ज्ञात खतरों से मुक्त कार्यस्थल प्रदान करना चाहिए। कर्मचारियों की भी ज़िम्मेदारी होती है। उन्हें OSHA सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों और किसी भी अन्य नियमों का पालन करना चाहिए जो उनके स्वयं की गतिविधियों और कार्य के आचरण पर लागू होते हैं।

### मानक

कानून को संयुक्त राज्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम के तहत सूचीबद्ध सभी मानकों को अपनाने के लिए श्रम आयुक्त की आवश्यकता है।

### निरिक्षण

श्रम आयुक्त के पास अधिनियम के तहत ज़रूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को लागू करने का एकमात्र अधिकार है। एक निरीक्षण किसी शिकायत, किसी दुर्घटना, या नियमित रूप से किसी निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। हम आने वाले खतरे की शिकायत निरीक्षणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निरीक्षण के दौरान निरीक्षक के साथ जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसे "वाकअराउंड" कहते हैं।

### बाध्यता

यदि हम उल्लंघन का नोटिस जारी करते हैं और किसी नियोक्ता को अनुपालन करने का आदेश देते हैं, तो इसमें शामिल हैं:

- उल्लंघन का विवरण दें
- प्रश्न में मानक को देखें

- उल्लंघन के प्रकारों की सूची बनाएँ (गंभीर, गैर-गंभीर, जानबूझकर या दोहराए जाने वाले)
- अनुपालन के लिए एक समय सुनिश्चित करें

जब आयुक्त अनुपालन करने के लिए एक आदेश जारी करता है, तो नियोक्ता को इसे या इसकी एक कॉपी पोस्ट करनी चाहिए:

- किसी विशेष स्थान पर
- उल्लिखित उल्लंघन के प्रत्येक स्थान पर या उसके नज़दीक
- जहाँ इसका प्रभाव कर्मचारियों को साफ दिखाई दे रहा है

आयुक्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संगठनों को अनुपालन के लिए आदेशों की कॉपी देंगे।

### दंड आकलन

हम उस नियोक्ता पर प्रति दिन पेनल्टी असेसमेंट लगाते हैं जो उल्लंघन को कम करने की तिथि तक ठीक करने में विफल रहता है। जब तक उल्लंघनों को सही नहीं किया जाता, तब तक हम निम्नलिखित तक के जुर्माने का आकलन करेंगे:

- प्रत्येक गैर-गंभीर उल्लंघन के लिए \$50 प्रति दिन
- प्रत्येक गंभीर उल्लंघन के लिए \$200 प्रति दिन

हम सूचना को कम करने में विफलता की स्थिति में प्रत्येक उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड को सूचीबद्ध करते हैं।

### अनौपचारिक सम्मेलन

यदि किसी निरीक्षण और अनुपालन के आदेशों से समस्या पैदा होती है, तो हम एक अनौपचारिक सम्मेलन की व्यवस्था करते हैं। यह एक नियोक्ता, कर्मचारी या कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकारी कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य (PESH) ब्यूरो के पर्यवेक्षक निरीक्षक की मीटिंग है। एक अनौपचारिक सम्मेलन की माँग करने के लिए, आदेश जारी करने की तिथि से 20 कार्य दिवसों के भीतर फोन या पत्र द्वारा निकटतम PESH जिला कार्यालय से संपर्क करें।

### न्यायिक बाध्यता

यदि नियोक्ता समय सीमा तक आदेश का पालन नहीं करता है, तो हम नागरिक अभ्यास कानून और नियम के अनुच्छेद 78 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

## अपील

यदि कोई नियोक्ता किसी आदेश से सहमत नहीं है, तो वे या उनके प्रतिनिधि 60 दिनों के भीतर अपील के औद्योगिक बोर्ड (Industrial Board of Appeals) में अपील कर सकते हैं।

अपील जिससे संबंधित है:

Industrial Board of Appeals  
Empire State Plaza  
Agency Building 2, 20th Floor  
Albany, NY 12223

यदि कोई नियोक्ता या कर्मचारी अपील के औद्योगिक बोर्ड के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे नागरिक अभ्यास कानून और नियम के अनुच्छेद 78 के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। उन्हें बोर्ड के फैसले के 60 दिनों के अंदर ऐसा करना होगा।

## वैकल्पिक अनुपालन समझौता

यदि सार्वजनिक नियोक्ता अनुपालन करने के लिए एक अलग तरीका प्रस्तावित करता है, तो PESH वैकल्पिक अनुपालन समझौते में प्रवेश कर सकता है। PESH सुरक्षा और स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सेवा इकाई (Division of Safety and Health's Engineering Services Unit - ESU) के विभाग को नियोक्ता के प्रस्ताव की समीक्षा करने में मदद करने के लिए कहेगा। नियोक्ता ESU को अपना विकल्प प्रस्तुत करेगा, जो इसकी समीक्षा करेगा और प्रस्ताव पर चर्चा और परिशोधन के लिए एक मीटिंग निर्धारित करेगा।

उस मीटिंग में नियोक्ता, प्रभावित संघ और PESH शामिल होंगे। वे सभी पक्षों द्वारा स्वीकृत एक वैकल्पिक अनुपालन समझौते में परिणामों को लिखेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए PESH अनुवर्ती निरीक्षण करेगा कि नियोक्ता ने वैकल्पिक अनुपालन समझौते का अनुपालन किया है या नहीं।

## निषेधाज्ञा

जब निरीक्षकों को ऐसी स्थिति दिखाई देती है जो किसी कर्मचारी को गंभीर शारीरिक नुकसान या मृत्यु का निकटस्थ खतरा प्रस्तुत कर सकती है, तो उन्हें शामिल कर्मचारियों और नियोक्ता को सूचित करना चाहिए और तत्काल रूप से सुधारत्मक कार्रवाई के लिए कहना चाहिए।

यदि नियोक्ता निरीक्षक से सहमत होता है और निकटस्थ खतरे को दूर करने के लिए कार्य करता है, तो किसी निषेधाज्ञा की ज़रूरत नहीं है।

यदि नियोक्ता सहमत नहीं होता है और खतरे पर कार्रवाई करने से मना करता है, तो निरीक्षक दोनों पक्षों को सलाह देगा कि श्रम आयुक्त स्थिति को सुधारने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे (इन मामलों में आयुक्त को 48 घंटों के भीतर निषेधाज्ञा की माँग करनी चाहिए; यदि आयुक्त कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो उस स्थिति से प्रभावित कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है)।

## परामर्श

PESH के कर्मचारियों में अनुभवी सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार शामिल हैं। वे सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन के लिए किसी भी नियोक्ता के अनुरोध पर उपलब्ध हैं। सलाहकार यह देखने के लिए नियोक्ता की साइट और संचालन की समीक्षा करेगा कि क्या वे वर्तमान सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हैं या नहीं। उनकी रिपोर्ट नियोक्ता को सिफारिशें पेश करेगी। ऐसे निष्कर्ष एक सार्वजनिक दस्तावेज़ का रूप ले सकते हैं और अनुरोध किए जाने पर जारी किए जा सकते हैं।

## छूट की तिथि को संशोधित करने के लिए याचिका

कभी-कभी संभव है कि नियोक्ता उल्लंघन का पालन न कर पाए क्योंकि कुछ ज़रूरतें उपलब्ध नहीं होती हैं। वे छूट की तिथि को संशोधित करने के लिए एक याचिका के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि उनमें ये कमी है:

- पेशेवर या तकनीकी कर्मचारी
- अनुपालन के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण

नियोक्ताओं को यह प्रमाणित करना होगा कि वे जोखिम के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध कदम उठा रहे हैं। उन्हें शीघ्रतापूर्वक अनुपालन पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए।

## भिन्नता

नियोक्ता, अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध मानक से स्थायी भिन्नता के लिए कह सकते हैं। उन्हें कर्मचारियों को देना होगा:

- प्रत्येक आवेदन की सूचना
- सुनवाई में भाग लेने का अवसर

यदि प्रमाण से पता चलता है कि नियोक्ता द्वारा उपयोग की गई या प्रस्तावित शर्तें, प्रथाएँ, साधन, तरीके, संचालन या प्रक्रियाएँ सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद हैं, यदि नियोक्ता ने मानक का अनुपालन किया हो तो आयुक्त सुनवाई सहित उचित प्रक्रिया के बाद एक स्थायी भिन्नता जारी कर सकता है।

हम नियोक्ता, कर्मचारी या कर्मचारी के प्रतिनिधि के अनुरोध पर किसी स्थायी भिन्नता को संशोधित या रद्द कर सकते हैं। जारी करने की तिथि के छह महीने बाद आयुक्त किसी स्थायी भिन्नता को संशोधित या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

नियोक्ता नए मानक से अस्थायी भिन्नता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे सामग्री, उपकरण या तकनीकी कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण प्रभावी तिथि तक अनुपालन नहीं कर पाते हैं।

## रिकॉर्डकीपिंग

न्यूयॉर्क राज्य के कोड, नियमों और विनियमों के आधिकारिक संकलन के शीर्षक 12 का भाग 801 धारा के तहत श्रम आयुक्त द्वारा स्थापित रिकॉर्डकीपिंग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। श्रम कानून का 27a नियमों की कॉपी के लिए हमारी वेबसाइट देखें।

## भेदभाव

कोई भी नियोक्ता किसी भी व्यक्ति के साथ सेवामुक्ति, अन्यथा अनुशासन या किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता है क्योंकि कर्मचारी नें:

- शिकायत दर्ज़ की है
- इस कार्यक्रम के तहत या इससे संबंधित कोई कार्यवाही शुरू की

जिन कर्मचारियों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वे श्रम आयुक्त के पास शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं। आयुक्त को आरोप की जांच करनी चाहिए और उसकी योग्यता पर निर्णय लेना चाहिए।

## वित्तीय सहायता उपलब्ध है

अधिनियम की शर्तों के तहत, छूट बोर्ड (Abatement), PESH द्वारा उद्भूत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए पूंजीगत परियोजनाओं की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। सार्वजनिक नियोक्ता इस कार्यक्रम के तहत 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि, सार्वजनिक नियोक्ता को किसी भी उल्लिखित उल्लंघन को छूट की तिथि तक ठीक करना होगा। वे भिन्नता या अन्य माध्यमों से उल्लंघन को ठीक कर सकते हैं। राज्य द्वारा बनाई गई राज्य एजेंसियां और सार्वजनिक प्राधिकरण इस फंडिंग के लिए योग्य नहीं हैं।

## फंडिंग के बारे में अधिक जानकारी

बोर्ड के सचिव  
NYS Department of Labor  
Bldg. 12, Rm. 436  
State Office Campus  
Albany NY 12249  
**518-457-7629**

## अधिक जानकारी के लिए, जिला कार्यालय से संपर्क करें

### अल्बानी जिला

State Office Campus  
Bldg. 12, Rm. 158  
Albany, NY 12240  
**518-457-5508**

### बिंघमटन जिला

44 Hawley Street, Rm. 901  
Binghamton, NY 13901  
**607-721-8211**

### बफ़ेलो जिला

65 Court Street  
Buffalo, NY 14202  
**716-847-7133**

### गार्डन सिटी जिला

400 Oak Street  
Garden City, NY 11550  
**516-228-3970**

### न्यूयॉर्क सिटी जिला

75 Varick St., 7th Floor  
New York, NY 10013  
**212-775-3554**

### रोचेस्टर जिला

109 S. Union Street, Rm. 402  
Rochester, NY 14607  
**585-258-8806**

### सिराक्यूज़ जिला

450 South Salina Street  
Syracuse, NY 13202  
**315-479-3212**

### उटिका जिला

207 Genesee Street  
Utica, NY 13501  
**315-793-2258**

### व्हाइट प्लेस जिला

120 Bloomingdale Road  
White Plains, NY 10605  
**914-997-9514**